28/04/25

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित । प्रार्थी वकील की ओर से प्रार्थना 151 सीपीसी वास्ते जवाब तलब करने तहसीलदार धनाऊ विप्रार्थी सं. 2 प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के संबंध में विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता आवेदन को लम्बित करने के उद्देश्य से मनगढ़त प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह कर रहे है तथा आवेदन को लम्बित कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर मूल आवेदन की बहस सुनी जावे।

प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का खारीज किया जाता है। मूल आवेदन की बहस प्रार्थी अधिवक्ता तहसीलदार की रिपोर्ट एवं जवाब तलब होने के पश्चात करना चाहते है अतः विप्रार्थी अधिवक्ता की मूल आवेदन पर बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का आवेदन सारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारीज फरमाने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया । विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिके आधार पर प्रार्थी का आवेदन सारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) जौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested